न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 03 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 2689

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट्स
जेतीदेवी पत्नी वरींगाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–मारूखेड़ा (पमाणा), तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	1 सरंपच ग्राम पंचायत पमाणा 2 गंगाराम पुत्र वरींगाराम 3 भगवानाराम पुत्र जोधाराम 4 स्व. भेराराम पुत्र जोधाराम के कायम मुकाम अ–पूनमाराम पुत्र भेराराम ब–लादुराम पुत्र भेराराम स–सुजानाराम पुत्र भेराराम द–सुरेश पुत्र भेराराम य–कानाराम पुत्र भेराराम र–अमरू देवी बैवा भेराराम कौम–बिश्नोई, निवासीगण–मारूखेड़ा (पमाणा), तह–सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 30.10.2025

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक बेनिवाल एवं रमेश हेमागुड़ा उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 4 (अ, ब, स, द, य, र) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन देवासी उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 08.05.2026

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तु अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा मारूखेड़ा (पमाणा), पटवार हल्का–पमाणा के खेत खसरा संख्या 294, 300, 306, 307, 308, 1218, 1220 जुमले रकबा 11.01 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 221, 264 से सृजित हुए है। उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 लगायत 4 की संयुक्त परिवार की पुश्तैनी आराजी आई हुई है अपीलाण्ट स्व. वरिंगाराम की बैवा धर्मपत्नी होने से अपीलाण्ट स्व. वरिंगाराम की जायज वारिशान् एवं उतराधिकारी होने से अपीलाण्ट का

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त खसरा नंबर आराजी में स्व. वरिंगाराम की खातेदारी एवं हिस्से की आराजी में अपीलाण्ट का नोशनल शैयर पैदा होने से अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा आया होने से अपीलाण्ट स्व. वरिंगाराम की खातेदारी पाने की अधिकारिणी है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 गंगाराम की नियत में शुरू से खोट होने से वरिंगाराम के फौत होने के पश्चात मौजा मारूखेड़ा में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी फौतेगदी नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 02.10.2001 रेस्पोडेण्ट्स नंबर 1 सरपंच ग्राम पंचायत पमाणा से मिलावट कर स्व. वरिंगाराम के बजाय रेस्पोडेण्टस गंगाराम के अकेले नाम विधि विरूद्व स्वीकृत करवाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में स्व. वरिंगाराम के बजाय अकेले रेस्पोडेण्टस गंगाराम के नाम की अवैध व गलत दुरूस्ती कर अपीलाण्ट को अपीलाण्ट के 1/2 हिस्से की आराजी से वंचित कर अपीलाण्ट को अवैध हानि पहुंचाई है जबकि स्व. वरिंगाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्व. वरिंगाराम के बजाय अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स गंगाराम के नाम स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में स्व. वरीगाराम के बजाय अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 के नाम की दुरूस्ती की जानी विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 99 से आहत होकर मौजा मारूखेड़ा में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी स्व. वरिंगाराम के हिस्से एवं बंट की खातेदारी आराजी में वादिया का नौशनल शैयद पैदा होने से वादिया 1/2 हिस्सा आया हुआ होने से अपीलाण्ट 1/2 हिस्से भी खातेदारी पाने की अधिकारीणी है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण सख्या 99 विधि विरूद्व होने से खारिज फरमावें व स्व. वरिंगाराम का फौतेगदी नामान्तरकरण स्व. वरिंगाराम के बजाय अपीलाण्ट जेती देवी व रेस्पोडेण्ट्स नंबर 2 गंगाराम के नाम स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में स्व. वरिंगाराम के बजाय अपीलाण्ट जेती देवी व रेस्पोडेण्ट्स नंबर 2 के नाम की दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

उक्त अपील दिनांक 30.10.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 4 (अ, ब, स, द, य, र) द्वारा ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के समस्त तथ्य स्वीकार किये जाते है तो हमें कोई आपति नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 लगायत 3 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत पमाणा के नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 02.10.2001 अपीलार्थीया को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधिविरूद्व स्वीकृत किया है तथा न ही मौका निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीया स्व. वरिंगाराम की जायज वारिशान् एवं उतराधिकारी होने से स्व. वरिंगाराम की फौतेदगी नामान्तरकरण स्व. वरिंगाराम के बजाय अपीलार्थीया जेतीदेवी का नाम रेस्पोडेण्ट्स गंगाराम के साथ साथ इन्द्राज होना चाहिए जो ऐसा न होकर अकेले गंगाराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो नामान्तरकरण संख्या 99 को अस्वीकृत कर अपीलार्थीया जेतीदेवी का भी नाम इन्द्राज किया जावें।

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

Scanned with CamScanner

हमने अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेण्ट्स से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् का भली भांति अवलोकन करने एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि हस्तगत अपील ग्राम पंचायत मारूखेड़ा (पमाणा) के नामान्तरकरण संख्या 99 में ग्राम पंचायत पमाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में सलंग्न अपीलार्थीया द्वारा पेश नामान्तरकरण संख्या 99 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन किया जिसमें ग्राम मारूखेड़ा (पमाणा) के खाता संख्या 276 की कुल आराजी रकबा 11.01 हैक्टेयर में वरिंगाराम पुत्र जोधाजी, जाति–बिश्नोई, सा.देह खातेदार के फौत होने पर गंगाराम पुत्र वरिंगाराम, जाति–बिश्नोई दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 में वरिंगाराम वल्द जोधाजी के बजाय गंगाराम वल्द वरिंगाराम दर्ज किया गया शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे।

इस प्रकार वादग्रस्त आराजी ग्राम पमाणा के खेत खसरा संख्या 294, 300, 306, 307, 308, 1218, 1220 जुमले रकबा 11.01 हैक्टेयर में अपीलार्थीया जेतीदेवी वरिंगाराम की पत्नी है या नहीं तथा उक्त आराजी में वरिंगाराम के हिस्से की आराजी में अपीलार्थीया जेतीदेवी का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 गंगाराम का 1/2 हिस्सा बनता है या नहीं, इस सन्दर्भ में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 4 के कायम मुकाम अ, ब, स, द, य, र ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 294, 300, 306, 307, 308 मौजा मारूखेड़ा के खसरा संख्या 1218, 1220 मौजा पमाणा की पैतृक भूमि होने से अपीलार्थीया का कानूनीयां अधिकार मृत्यु पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 02.10.2001 खोलकर अपीलार्थीया का हिस्सा 1/2 से वंचित कर अकेले रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 गंगाराम के नाम विधि विरूद्व जाकर उपरोक्त आराजी में अपीलार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं खातेदारी पाने की अधिकारी थी। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट्स संख्या 4 (अ, ब, स, द, य, र) के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थीया जेतीदेवी वरिंगाराम की पत्नी है तथा वरिंगाराम के हिस्से में अपीलार्थीया जेतीदेवी 1/2 हिस्सा कानूनीयां बनता है अन्य रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1, 2, 3 के नोटिस तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही अपीलार्थीया द्वारा पेश अपील का किसी प्रकार से खण्डन किया है जो रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1, 2, 3 की ओर से अपीलार्थीया द्वारा पेश अपील का मौखिक रूप से समर्थन करना स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तररकण संख्या 99 में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थीया के पति वरिंगाराम पुत्र जोधाजी, जाति–बिश्नोई के फौत होने पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 गंगाराम वल्द वरिंगाराम का नाम दर्ज किया है लेकिन स्व. वरिंगाराम पुत्र जोधाजी की पत्नी अपीलार्थीया जेतीदेवी का नाम नामान्तरकरण संख्या 99 में वरिंगाराम फौत होने पर दर्ज नहीं किया गया, जबकि पुश्तैनी भूमि में सभी पुत्र/पुत्रियां/पत्नी हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी मानी गई है। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीया का नाम नामान्तरकरण में आना चाहिए, लेकिन उनका नाम राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

Scanned with CamScanner

इन्द्राज नहीं किया, न ही इसके संबंध में कोई विधिक कार्यवाही का कारण बताया गया है। उक्त नामान्तरकरण भरते समय उक्त त्रुटि हुई है एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के तहत सुनवाई करने का अभाव पाया गया है। उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थीया जेतीदेवी का नाम नहीं आने के संबंध में अंकित्त किया हुआ नहीं है। अतः अपीलार्थीया अपने पति की आराजी में विधिक हकदार होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 99 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार योग्य है।

:– आदेश –:

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पमाणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 99 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये तमाम इन्द्राज भी प्रभाव शून्य घोषित किये जाते है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 99 को तहसीलदार सांचौर को प्रति प्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाधीन आराजी में वरिंगाराम पुत्र जोधाजी बिश्नोई के तमाम वारिशान् की जांच कर उसके अनुरूप नामान्तरकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सांचौर को जरिये तहरीर के प्रेषित की जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन् करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **08.05.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with CamScanner